

श्रीमान्जी

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत की कार्यवाही की जा रही है।


2021/266


प्रार्थी हरिराम पुत्र खुमानाराम जाति जाट उम्र 77 वर्ष निवासी चक 32 आर बी फकीरवाली तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत एक बन्द वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखा जावे।

प्रार्थी को गवाहान बंशीलाल पुत्र गान्दूराम एवं धर्मपाल पुत्र पृथ्वीराज ने हचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त रामनिवास बिश्नोई अधिवक्ता, श्रीगंगानगर ने की है एवं वकालतनामा पेश किया है।

अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर उक्त पैकेट बंद लिफाफा सेफ कस्टडी में रखाने के आदेशार्थ प्रस्तुत है।

पंजीयक महोदय

  
14/11/21

  
16/11

ज  
क

जाति  
32  
सील  
नगर